न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 29/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. जीतमल पुत्र प्रभूराम जाति माली निवासी मायलावास, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स रामदेव किराणा स्टोर, मायलावास, सिवाना मालिक)
2. नाथूराम माली पुत्र खेताजी माली जाति माली निवासी आशापुरा टी क0 राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर (मैसर्स आशापुरा टी क0 राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक **19.09.2021** को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स रामदेव किराणा स्टोर, मायलावास, सिवाना बाड़मेर** का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड पगारी (250 ग्राम)** जो कि 250–250 ग्राम के पैकेटों में एक कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **250–250 ग्राम के कुल 8 पैकेट चाय ब्राण्ड पगारी (250 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–1400** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड पगारी (250 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड पगारी (250 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला ... बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है तथा अपनी छोटी सी किराणे की दुकान चलाकर भरण–पोषण करता है। वह पैकिंग चाय खरीदता है तथा उसी अवस्था बिना छेड़–छाड़ किये आगे बेचान करता है। लिहाजा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जवाब में प्रकट किया कि वह हॉलसेल व्यापारी से जिस अवस्था में चाय पत्ती खरीदता है उसी अवस्था में आगे बेचान करता है। छोटे व्यापारी द्वारा माल ज्यादा समय तक रखने पर चाय की पत्ती के स्वाद व गुणवत्ता में अन्तर स्वाभाविक है। लिहाजा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **24.09.2021** में **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाया गया है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा लिखित जवाब में अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर